"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 सितम्बर 2022—भाद्रपद 25, शक 1944

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 जुलाई 2022

क्रमांक ई 1-03/2022/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा सुश्री आर. शंगीता, भा.प्र.से. (2005), सचिव, वन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग एवं नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 जुलाई 2022

क्रमांक एफ 7-15/2017/32.—भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का सं. 16) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण में अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किए जाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति/व्यक्तियों की सिफारिश किए जाने हेतु निम्नानुसार चयन समिति गठित करती है :—

1. माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा मनोनीत माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय.
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग.
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग,

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 सितम्बर 2022

क्रमांक एफ 07-05/2022/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 20-05-2022 द्वारा दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपांतरण में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :—

दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपांतरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)	दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में प्रस्तावित भू उपयोग	अधिनियम की धारा 23-क के तहत् उपांतरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	महुदा प.ह.नं. 07	628	7.530	आमोद-प्रमोद एवं आवासीय	औद्योगिक

2. उक्त उपांतरण वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को औद्योगिक योजना के प्रयोजन हेतु है.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण दुर्ग-भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. तिर्की, उप सचिव.